राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 26.05.2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.05.2020 के द्वारा कोविड–19 की जांच हेतु लिये जा रहे सेम्पल का सम्पूर्ण डाटा सेम्पल लेने वाले कार्मिक द्वारा RTPCR APP पर सीधे ही अपलोड किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। किन्तु राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों में उक्त आदेश की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.05.2020 की निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. समस्त प्राचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मरीज से संबंधित डाटा सेम्पल लेते समय ही RTPCR APP पर अपलोड किया जावे। किसी भी स्थिति में डाटा फिजिकल फार्म में नहीं लिया जावे।
2. RTPCR APP पर डाटा अपलोड करने के उपरान्त प्रत्येक सेम्पल की एक Unique-ID Generate होती है। उपरोक्त Unique-ID का अंकन संबंधित सेम्पल के VTM पर भी किया जावे।
3. सेम्पल के VTM पर मरीज का नाम एवं उपरोक्त Unique-ID का अंकन स्पष्ट हस्तलिपि में अंकित किया जावे, ताकि टेस्टिंग लैब में उपरोक्त यूनिक आईडी एवं नाम के आधार पर संबंधित सेम्पल के मरीज की आसानी से पहचान की जा सके।
4. सेम्पल लेने के उपरान्त उपरोक्त VTM Box को संबंधित लैब में जांच हेतु भेजा जाता है। उपरोक्त बॉक्स में भेजी जा रही VTM के में मरीज का नाम, Unique-ID एवं मोबाईल नम्बर RTPCR APP पर अपलोड डाटा से प्रिन्ट कर बॉक्स के साथ भेजा जावें।

उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। अन्यथा स्थिति में संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

26/05/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
8. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.

(संजय कुमार) 26.5.2020
शासन उप सचिव